[2019] 10 एस.सी.आर. 73

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एवं अन्य
बनाम
मेसर्स धार विंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य
(2018 की सिविल अपील संख्या 9218–9219)
जुलाई 25, 2019

[डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीशगण]

"वीज(विद्युत) अधिनियम, 2003: धारा 61 और 86(1)(e) – वायु विद्युत जनरेटर से विद्युत की खरीद – टैरिफ आदेश जारी करना – 26.03.13 को दिनांकित टैरिफ आदेश जिसमें 01.04.13 से 31.03.16 के दौरान परियोजना के लिए प्रति इकाई 5.92 रुपये की दर का निर्धारण किया गया था – 17.03.16 को दिनांकित नई टैरिफ आदेश, जिसमें पुराना टैरिफ आदेश 01.04.2016 को ओर उसके बाद के परियोजनाओं के लिए 4.78 रुपये प्रति इकाई पर कम किया गया था – प्रथम परिवादी द्वारा मांग किया गया है कि पुराने टैरिफ आदेश के तहत 5.92 रुपये प्रति इकाई की दर का लाभ दिया जाए क्योंकि उसने अपनी परियोजना को 31.03.2016 को संविष्ट किया था – प्राथमिक अपीलकर्ता का कहना है कि प्रदान की गई डेटा के आधार पर विद्युत जाल में 01.04.2016 से ऊर्जा डाली गई थी, इसलिए 5.92 रुपये प्रति इकाई की दर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, और ऐसे में पुराने दर आदेश के तहत विद्युत खरीद के एक विद्युत क्रय करार में नहीं शामिल होगा –– प्रथम परिवादी द्वारा एक रिट याचिका दायर किया गया– उच्च न्यायालय ने इसको मंजूरी देदी – प्रथम अपीलकर्ता के साथ विद्युत खरीद के लिए प्रति इकाई 5.92 रुपये की दर पर प्रतिस्पर्धा करने की दिशा में निर्देश जारी किया – इसके बाद, प्रथम अपीलकर्ता द्वारा जारी कमीशनिंग प्रमाणपत्र को वापस लिया गया – एक और जुटी हुई रिट याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया – दूसरे सेट की याचिका, जिसमें उच्च न्यायालय ने कमीशनिंग को रोक दिया – अपील पर, निर्णय: प्रथम परिवादी की परियोजना 1 अप्रैल 2016 को संविष्ट की गई थी क्योंकि एस एल डी सी डेटा में इस तिथि से ऊर्जा की डालन का संकेत है – हालांकि, 17.03.16 की टैरिफ आदेश द्वारा निर्धारित दर का लाभ देना उचित होगा – 01.04.2016 से शुरू होकर 31.03.2019 को समाप्त होने वाले नियंत्रण अवधि के दौरान लागू होने वाली टैरिफ आदेश की दर का पालन किया जाना चाहिए, और वह दर 25 साल के जीवनकाल को शासित करेगी – प्रथम परिवादी को उसी प्रकार का न्याय देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि 17.03.2016 की टैरिफ आदेश में निर्धारित नियंत्रण अवधि की दिशा में दिखाई गई है – उच्च न्यायालय के आदेश रद्द किए गए – प्रथम परिवादी को 17.03.2016 की टैरिफ आदेश के लाभ की योग्यता – अपीलकर्ताओं को तय किया गया है कि प्रथम परिवादी की आवेदन को इस आधार पर विद्युत क्रय करार को प्रसंस्थापित करें।

'न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

"निर्णय: 1.1 मार्च 2013 के टैरिफ आदेश में यह निर्धारित किया गया था कि यह उन सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू होगा जो 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद बिक्री के लिए चालू की गई थीं। राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत । टैरिफ आदेश की नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई और 31 मार्च 2016 को समाप्त होगी। टैरिफ आदेश ने परियोजना अवधि के लिए आदेश जारी होने के बाद चालू होने वाली नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5.92 रुपये प्रति यूनिट का एक स्तरीकृत टैरिफ तय किया। 25 वर्ष की. पैरा 12.30 में प्रावधान है कि सभी मौजूदा परियोजनाएं जो 1 अप्रैल 2013 से प्रथम चालू की गई थीं, वे कमीशनिंग के समय लागू नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगी। इसलिए, टैरिफ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण घटक वह वास्तविक तारीख थी जिस दिन परियोजना चालू की गई थी। 17 मार्च 2016 का टैरिफ आदेश जिसने प्रथम के टैरिफ आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया और यह उन सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू होता है जो 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद 00.00 बजे चालू की गई थीं। टैरिफ आदेश के पैरा 4.2 के तहत एसएलडीसी को मार्च 2016 के महीने के दौरान 1 मार्च 2016 के 00.00 बजे से 31 मार्च 2016 के 24.00 बजे तक कमीशन किए गए WEG की एक सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करने के लिए डेटा मांगा गया था कि क्या कोई परियोजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई परियोजनाओं पर नए टैरिफ आदेश लागू होने से प्रथम चालू की गई थी। [पैरा 22] [82–एफ–एच; 83–ए–जी]

1.2 उक्त प्रावधानों के अनुरूप, 18 मार्च 2016 को प्रथम अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों ने कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक प्रारूप प्रदान किया। प्रारूप में निम्नलिखित की रीडिंग आवश्यक है: (i) डब्ल्यूटीजी मीटर; (ii) मुख्य बिलिंग मीटर; और (iii) बिलिंग मीटर की जाँच करना। प्रारूप में प्रस्तुतिकरण आवश्यक था उस तारीख को स्थापित करने के लिए इस डेटा का जिस दिन कोई विशेष परियोजना चालू कर दी गई थी। कमीशनिंग की वास्तविक तारीख लागू टैरिफ निर्धारित करेगी; 5.92 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ उन परियोजनाओं पर लागू होगा जो 31 मार्च 2016 को या उससे प्रथम चालू हुई थीं, जबकि 4.78 रुपये प्रति यूनिट की नई दर उन परियोजनाओं पर लागू होगी जो 1 मार्च 2016 को या उसके बाद चालू हुई थीं। अप्रैल 2016। एसएलडीसी को ग्रिड में विद्युत के वास्तविक इंजेक्शन का डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता परियोजना की वास्तविक कमीशनिंग स्थापित करने के उद्देश्य से थी। [पैरा 23] [83–जी–एच; 84–ए–जी]

1.3 रिकॉर्ड पर दस्तावेजी सामग्री की समीक्षा करने पर, उच्च न्यायालय के इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि परियोजना का कार्यान्वयन 31 मार्च 2016 तक पूरा हो गया था। अधीक्षण अभियंता द्वारा कमीशनिंग का जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह एसएलडीसी से उपलब्ध वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक डेटा से गलत है, जो अधिनियम की धारा 31 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। रिकॉर्ड पर वस्तुनिष्ठ डेटा इंगित करता है कि ग्रिड में विद्युत का इंजेक्शन 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। इसलिए, यह वह आधार होना चाहिए जिस पर पीपीए में प्रवेश का दावा किया जाना चाहिए। [पैरा 25] [85–सी]

1.4 प्रथम प्रतिवादी की परियोजना शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2016 को चूंकि एसएलडीसी डेटा उस तारीख से ग्रिड में विद्युत के इंजेक्शन को इंगित करता है। 1 अप्रैल 2016 को परियोजना के चालू होने के आधार पर, वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण में योग्यता है कि जो टैरिफ आदेश लागू होना चाहिए वह 17 मार्च 2016 का टैरिफ आदेश है। पहला प्रतिवादी रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम टैरिफ आदेश के आधार पर 5.92 रुपये प्रति यूनिट की उच्च दर के लाभ के लिए अपना दावा पेश किया गया था और इस आधार पर कि इसकी परियोजना की कमीशनिंग 31 मार्च 2016

को हुई थी। पहला प्रतिवादी उस संबंध में अपने दावे का ईमानदारी से पालन कर रहा था जिसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में स्वीकृति मिली अदालत। यद्यपि यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न है, लेकिन प्रथम प्रतिवादी को 17 मार्च 2016 के टैरिफ आदेश द्वारा निर्धारित दर का लाभ देने से इनकार करना अनुचित होगा। टैरिफ़ 1 अप्रैल 2016 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि के दौरान 4.78 रुपये प्रति यूनिट का आदेश लागू होना था और यह दर टैरिफ आदेश के पैरा 5 द्वारा निर्धारित 25 वर्षों के जीवन चक्र को नियंत्रित करना जारी रखेगी। प्रथम प्रतिवादी को उपचार की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि समान प्रकृति की अन्य परियोजनाओं को अनुमति दी गई है जो कि द्वारा शासित होंगी 17 मार्च 2016 के टैरिफ आदेश के पैरा 5 में निर्धारित नियंत्रण अवधि। [पैरा 26] [85–डी–एफ]

1.5 प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 8 दिसंबर 2017 को तैयार किए गए थे। इसके अलावा, उन दिशानिर्देशों का पैरा 3.1 लागू नहीं है प्रथम प्रतिवादी की परियोजना. दिशानिर्देश एक साइट पर 5 मेगावाट और उससे अधिक के व्यक्तिगत आकार वाली ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होते हैं और अंतर–राज्य परियोजनाओं के लिए न्यूनतम बोली क्षमता 25 मेगावाट है। चूँकि पहला प्रतिवादी निश्चित रूप से एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, दिशानिर्देश (जो किसी भी घटना में बाद में लागू हुए) कोई आवेदन नहीं होगा. [पैरा 27 और 28] [85–जी–एच; 86–ए–सी]

1.6 उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को रद्द किया जाता है। यह निर्देशित किया जाता है कि पहला प्रतिवादी 17 मार्च 2016 के टैरिफ आदेश के लाभ का हकदार होगा। अपीलकर्ता प्रथम के आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। और प्रतिवादी को 1 अप्रैल 2016 से उस आधार पर पीपीए के निष्पादन के लिए आवेदन करना होगा। इसके मद्देनजर, दुतीय रिट याचिका जो प्रथम प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है, आधार रहित होकर स्वीकार करने योग्य नहीं हैं और तत्काल निर्णय के अनुसार खतम कार दी जाएगी। . [पैरा 29] [86–ई–जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 9218– 9219।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा आर पी संख्या 1303/2017 में दिनांक 29.01.2018 के निर्णय और आदेश से।

नितिन गौड़, रंजीत कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के लिए.

विवेक के. तन्खा, सीनियर. एडवोकेट, गोपाल शंकरनारायणन, सुमीर सोढ़ी, अमन नंदराजोग, आशीष तिवारी, वैभव गुलिया, सुश्री। गायत्री वर्मा, कु. राखी रे, सलाहकार। परिवादियों के लिए.

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स धार विंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश

1. ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के 21 सितंबर 2017 के एक फैसले और आदेश और 29 जनवरी 2018 के समीक्षा आदेश से उत्पन्न हुई हैं। साथी अपीलों में, एक

अंतरिम की शुद्धता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक बाद की याचिका में उच्च न्यायालय का 15 मई 2018 का आदेश सवालों के घेरे में है।

2. मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी 2012 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाई। नीति में 21 फरवरी 2013 को संशोधन किया गया था। नीति, जिसे पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012 के रूप में जाना जाता था, में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया गया था कि विद्युत की खरीद/बिक्री का संचालन और संचालन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. 26 मार्च 2013 को, राज्य आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 और 86(1)(ई) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पवन विद्युत जेनरेटर से विद्युत की खरीद के लिए एक टैरिफ आदेश जारी किया। टैरिफ आदेश के 4.1 में यह निर्धारित किया गया है कि यह मध्य प्रदेश राज्य के भीतर वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत की बिक्री के लिए 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद शुरू की गई सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू होगा। पैरा 5 में "टैरिफ समीक्षा अवधि/नियंत्रण अवधि" के लिए प्रावधान किया गया है:

"5. टैरिफ समीक्षा अवधि/नियंत्रण अवध

5.1 नियंत्रण अवधि जिस पर यह आदेश लागू होगा वह 01.04.2013 से शुरू होगी और 31.03.2016 को समाप्त होगी (अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत मे). इस आदेश में तय किया गया टैरिफ उपरोक्त नियंत्रण अवधि के दौरान आने वाली सभी परियोजनाओं पर लागू होगा और निर्धारित टैरिफ 25 वर्षों के परियोजना जीवन के लिए वैध रहेगा।"

4. आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ था (i) 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान आने वाली सभी परियोजनाओं पर लागू होना; और (ii) 25 वर्षों तक वैध रहना।

5. टैरिफ आदेश के पैरा 11 में टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है। जहां तकतथ्यात्मक है, इसमें प्रावधान है कि राज्य आयोग ने 25 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए आदेश जारी होने के बाद चालू होने वाली नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 5.92 रुपये प्रति यूनिट उत्पादन की दर से टैरिफ निर्धारित किया था। पैरा 11.2 नीचे दिया गया है:

"11.2 उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, आयोग स्तरीकृत टैरिफ @ रुपये निर्धारित करता है। इस आदेश के जारी होने के बाद चालू होने वाली नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादन के लिए 25 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए 5.92 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा।"

6. पैरा 12.4 की शर्तों के तहत, डेवलपर्स को 25 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत की विशेष बिक्री के लिए संयंत्र चालू करने से प्रथम मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 5 के साथ समझौते निष्पादित करने की अनुमति दी गई थी। और कमीशनिंग प्रमाणपत्र समझौते का एक हिस्सा बनना था।

7. पैरा 12.30 इस प्रकार प्रदान किया गया:

"12.30 सभी मौजूदा परियोजनाएं यानी 01.04.2013 से प्रथम चालू की गई परियोजनाएं उनके चालू होने के समय लागू नियमों और शर्तों द्वारा शासित होती रहेंगी।"

8. 10 नवंबर 2014 को, प्रथम प्रतिवादी ने पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012 के अनुसरण में धार जिले में 12 मेगावाट की परियोजना स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। परियोजना को नोडल एजेंसी के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत क्षमता को बाद में बढ़ाकर 15 मेगावाट कर दिया गया, जिसमें 1.5 मेगावाट के दस पवन टरबाइन जनरेटर शामिल थे। 2 मार्च 2016 को निजी भूमि पर 12 मेगावाट और 10 मार्च 2016 को राजस्व भूमि पर 3 मेगावाट की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सक्षम एजेंसी से अंतिम परियोजना अनुमोदन प्राप्त हुआ था। प्रथम प्रतिवादी ने परियोजना अनुमोदन के आधार पर कार्य किया, निर्माण पूरा किया और परियोजना को कमीशनिंग के लिए तैयार किया।

9. 17 मार्च 2016 को, राज्य आयोग ने एक नया टैरिफ आदेश जारी किया। पैरा 4 जो आदेश की प्रयोज्यता से संबंधित है और पैरा 5 जो टैरिफ समीक्षा अवधि/नियंत्रण अवधि निर्दिष्ट करता है, निम्नलिखित शर्तों में थे:

"4.आदेश की प्रयोज्यता

4.1 यह टैरिफ आदेश मध्य प्रदेश राज्य में 00.00 बजे चालू होने वाली सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू होगा। 01.04.2016 को या उसके बाद 5 "प्रथम अपीलकर्ता" मध्य प्रदेश राज्य के भीतर वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत की बिक्री के लिए। यह आदेश कैप्टिव उपयोगकर्ता या तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए नियम और शर्तें (टैरिफ के अलावा) भी निर्दिष्ट करता है।

4.2 वितरण लाइसेंसधारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में शुरू की गई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में क्षमता वृद्धि, ऊर्जा की खरीद और अन्य प्रासंगिक विवरण पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर भी पोस्ट करें। एक नियमित आधार पर। एसएलडीसी को मार्च 2016 के दौरान अर्थात 00.00 बजे से शुरू किए गए WEG की एक सूची भी तुरंत ई–मेल/फैक्स के माध्यम से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

दिनांक 01.03.2016 से 31.03.2016, 24.00 बजे तक।

5. टैरिफ समीक्षा अवधि/नियंत्रण अवधि

5.1 नियंत्रण अवधि जिस पर यह आदेश लागू होगा वह 01.04.2016 से शुरू होगी और 31.03.2019 को समाप्त होगी (अर्थात वित्तीय वर्ष 2018 के अंत में–19). इस आदेश में तय किया गया टैरिफ उपरोक्त नियंत्रण अवधि के दौरान आने वाली सभी परियोजनाओं पर लागू होगा और निर्धारित टैरिफ 25 वर्षों के परियोजना जीवन के लिए वैध रहेगा।

10. नए टैरिफ आदेश के पैरा 11 में टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है। जो टैरिफ प्रथम टैरिफ ऑर्डर के तहत 5.92 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया था, उसे घटाकर 4.78 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया:

"11.2 उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, आयोग स्तरीकृत टैरिफ @ रुपये निर्धारित करता है। इस आदेश के जारी होने के बाद चालू होने वाली नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादन के लिए 25 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए 4.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा।"

11. पैरा 12.29 में प्रावधान है कि:

12.29 सभी मौजूदा परियोजनाएं अर्थात 00.00 बजे से प्रथम चालू की गई परियोजनाएं। 01.04.2016 को उनके कमीशनिंग के समय लागू नियम और शर्तें लागू रहेंगी।

12. 18 मार्च 2016 को, प्रथम अपीलकर्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारियों और जनरेटरों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था:

विषय:–नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करना।

"केंद्र सरकार द्वारा बोली दिशानिर्देश जारी होने तक गैर–सौर आरई परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद, एमपीपीएमसीएल द्वारा अधिमान्य टैरिफ पर की जा रही है। अधिकांश

आरई टैरिफ की नियंत्रण अवधि 31.03.2016 तक पूरी हो रही है और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष के लक्ष्य और टैरिफ में बदलाव को देखते हुए, अधिकांश आरई जनरेटर 31.03.2016 को या उससे प्रथम अपनी परियोजनाओं को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। 01.04.2016 को या उसके बाद चालू की गई आरई क्षमता के लिए टैरिफ एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए, यह उचित होगा कि इन परियोजनाओं (विशेष रूप से पवन आधारित आरई परियोजनाओं) के लिए कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करते समय, परियोजना के लिए कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करने से प्रथम ग्रिड में सफलतापूर्वक इंजेक्ट की गई वास्तविक क्षमता की स्थिति की ठीक से जांच की जानी चाहिए।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष डब्ल्यूटीजी/यूनिट द्वारा ग्रिड में विद्युत के वास्तविक इंजेक्शन को स्थापित करने के लिए कमीशनिंग विवरण वाला एक प्रारूप प्राप्त किया गया है, जो संलग्न है। यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को प्रारूप में आवश्यक जानकारी प्रदान करने और पवन परियोजनाओं के लिए कमीशनिंग प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। अन्य गैर–सौर आरई श्रेणी के लिए कमीशनिंग प्रमाणपत्र भी आरई संयंत्रों द्वारा ग्रिड में सफल विद्युत इंजेक्शन स्थापित करने के लिए मीटर रीडिंग विवरण के साथ उसी पंक्ति में तैयार किया जाना चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि 31 मार्च 2016 तक और 31 मार्च 2016 के बाद कमीशन की गई क्षमता के लिए अलग–अलग टैरिफ होंगे और पूरे संयंत्र जीवन के लिए तय किए जाएंगे। कमीशन की गई क्षमता के संबंध में कोई भी विवाद काफी वित्तीय प्रभाव पैदा करेगा। इसलिए, किसी भी विवाद से बचने के लिए, कमीशनिंग प्रमाणपत्र उचित परिश्रम और जिम्मेदारी के साथ जारी किया जाना चाहिए।"

13. पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए एक प्रारूप पत्र के साथ संलग्न किया गया था।

14. मूल रूप से, पत्र में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि चूंकि टैरिफ उन परियोजनाओं के लिए बदलना था जो 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू की गई थीं, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकांश जनरेटर उच्चतर लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2016 से प्रथम अपनी परियोजनाओं को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। प्रथम के टैरिफ आदेश के तहत टैरिफ। इसलिए, यह निर्दिष्ट किया गया था कि कमीशनिंग का प्रमाण पत्र जारी करने से प्रथम "ग्रिड में सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई वास्तविक क्षमता की स्थिति" को सत्यापित किया जाना चाहिए।
15. अपीलकर्ताओं के अनुसार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जो कि संबंधित वितरण लाइसेंसधारी है, ने 31 मार्च 2016 को प्रथम प्रतिवादी को एक प्रमाण पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि प्रमाण पत्र की तारीख के अनुसार, परियोजना चालू कर दी गई थी। अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर प्रमाण पत्र पर विवाद करने की मांग की है कि कमीशनिंग प्रमाण पत्र 18 मार्च 2016 के दिशानिर्देशों से जुड़े प्रारूप के अनुसार नहीं था, जिसके अनुसार ग्रिड में विद्युत का वास्तविक इंजेक्शन प्रासंगिक मानदंड था।

Purchase Agreement) के निष्पादन की मांग करते हुए पहले अपीलार्थी को एक पत्र संबोधित किया, इस आधार पर कि इसने प्रोजेक्ट 31 मार्च 2016 को अपनी परियोजना/कमिशन शुरू की। अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक तर्क पर विवाद करा कि यह परियोजना एस. एल. डी. सी. द्वारा 31 मार्च 2016 से 2 अप्रैल 2016 तक सक्रिय बिजली रीडिंग के लिए इसकी रिपोर्ट समय ब्लॉक निर्धारित करती है जिसके दौरान बिजली का प्रवाह बिजली में होता है। ग्रिड रिकॉर्ड पर रखे गए आंकड़े 1 अप्रैल 2016 तक ब्लॉक 1 में तीन इकाइयों के इंजेक्शन और उसके बाद, इंजेक्शन का संकेत देते हैं। 2 अप्रैल 2016 को ब्लॉक 8 के साथ शुरू हुआ, ब्लॉक 16 तक जा रहा है। इसके बाद, डेटा इंगित करता है कि 2 अप्रैल 2016 को कई ब्लॉकों के दौरान ग्रिड में बिजली का एक इंजेक्शन था। अपीलार्थियों के अनुसार, एस. एल. डी. सी. के आंकड़ों के

आधार पर, ग्रिड में बिजली 1 अप्रैल 2016 को या उससे पहले नहीं डाली गई थी। इसके परिणामस्वरूप, प्रथम प्रत्यर्थी रुपये की इकाई दर के लाभ का हकदार नहीं था। 5.92 पहले के शुल्क आदेश के तहत तय किया गया।

17. 30 अप्रैल 2016 को, प्रथम अपीलार्थी ने प्रथम प्रतिवादी को सूचित किया कि चूंकि इसकी परियोजना 31 से पहले चालू नहीं की गई थी मार्च 2016 में, यह 26 मार्च 2013 के पहले के टैरिफ आदेश के तहत पी. पी. ए. में प्रवेश नहीं करेगा, जिसके तहत इकाई की कीमत 5.92 रुपये तय की गई थी। हालाँकि, पत्र ने संकेत दिया कि यदि प्रथम प्रतिवादी 30 मई 2016 तक अपनी सहमति का संकेत देता है, तो शुल्क नए शुल्क द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट दिनांक 17 मार्च 2016, जिसने बिजली के लिए इकाई मूल्य (Unit price) 4.78 रुपये निर्धारित किया था, वह पहले उत्तरदाता के साथ किसी भी पी. पी. ए. में प्रवेश नहीं करेगा और न ही बिजली ग्रिड इंजेक्शन की अनुमति देगा।

18. प्रथम प्रतिवादी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की ताकि 30 अप्रैल 2016 और 1 फरवरी 2017 के पत्रों को चुनौती दें। 21 सितंबर 2017 के एक फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 30 अप्रैल 2016 और 1 फरवरी 2017 के पहले अपीलार्थी के पत्रों को रद्द कर दिया और पहले अपीलार्थी को 26 मार्च के टैरिफ आदेश के अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के निर्देशों द्वारा और उसके परिणामस्वरूप, पहले अपीलार्थी को 5.92 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की खरीद के लिए पहले प्रतिवादी के साथ एक पी. पी. ए. में प्रवेश करने की आवश्यकता थी।

19. उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, अपीलार्थी ने 31 मार्च 2016 के कमीशन प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया।

20. उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जिसे 29 जनवरी 2018 को खारिज कर दिया गया था, जिसे 15 मई 2018 के एक अंतरिम आदेश द्वारा रद्द करने पर रोक लगा दी गई है। इसने इस न्यायालय के समक्ष दो अपीलों को जन्म दिया है

21. कमीशनिंग प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के दूसरे सेट की स्थापना को जन्म दिया, जिसमें 15 मई 2018 के एक अंतरिम आदेश द्वारा निरस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। इसने इस न्यायालय के समक्ष दो अपीलों को जन्म दिया है।

22. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री नितिन गौर ने कहा किः

(i) शुल्क लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान 17 मार्च 2016 को लागू हुआ
आदेश यह है कि यह 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू की गई सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू होगा।

इंजेक्शन को इंगित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में डेटा जमा करने की आवश्यकता होती है ताकि यह निर्धारित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रस्तुत किया जा सके कि क्या परियोजना पहले शुरू की गई थी या निर्धारित कटौती के बाद;

(iii). एस. एल. डी. सी से प्राप्त आंकड़ों के परिणामस्वरूप यह सामने आया है कि बिजली का वास्तविक इंजेक्शन ग्रिड में 1 अप्रैल 2016 को हुआ

(iv). परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी को प्रस्ताव दिया कि वह 17 मार्च 2016 के नए शुल्क आदेश के संदर्भ में एक पी. पी. ए. को निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक था जो उन परियोजनाओं पर लागू था जो 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद कमीशन किया गया;

(v) प्रथम उत्तरदाता इसका लाभ उठाने में विफल रहा जो प्रस्ताव पहले अपीलार्थी द्वारा किया गया था और इसके बजाय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका दायर की;

(vi) उच्च न्यायालय ने आयोग पर भरोसा करने में गलती की है कि प्रमाणपत्र उस प्रारूप के अनुसार नहीं था जिसमें प्रथम अपीलार्थी द्वारा वास्तविक कमीशन स्थापित करने के उद्देश्य से डेटा की आवश्यकता थी 31 मार्च 2016 से पहले की परियोजना;

(vii) बाद के विकास के परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलार्थी अब 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से बंधा हुआ है। इसके अलावा, 8 दिसंबर 2017 को भारत सरकार में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के तहत, प्रथम अपीलार्थी को पी. पी. ए. में प्रवेश करने के उद्देश्य से एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है।

(viii) पी. पी. ए. के परिणामस्वरूप जो किए गए हैं प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पहले अपीलकर्ता द्वारा, यह 2.30 रुपये से 2.59 रुपये प्रति यूनिट के बीच सस्ती दरों पर बिजली प्राप्त करने में सक्षम रहा है; और

(ix) प्रथम अपीलार्थी पी. पी. ए. प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अब प्रवेश करने के लिए तैयार होगा और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा यदि पहले उत्तरदाता को ऐसा करने का निर्देश दिया जाए।

23.दूसरी ओर, पहले प्रथयार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विवेक के. तन्खा और श्री गोपाल नारायणन द्वारा यह आग्रह किया गया है कि:–

(I) पहले के शुल्क आदेश की शर्तों के तहत जो आयोजित किया गया था 31 मार्च 2016 तक चालू की गई सभी नई पवन ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के लिए इस अवधि के लिए 5.92 रुपये प्रति इकाई की दर निर्धारित की गई थी।

(ii) वर्तमान मामले में, शुल्क आदेश के संदर्भ में, जो25 वर्षों तक 5. 92 रुपये प्रति यूनिट की दर स्थिर रखी जानी थी।

(iii) परियोजना के सफलतापूर्वक चालू होने का उल्लेख करते हुए, प्रथम प्रत्यर्थी ने 31 मार्च 2016 को अपनी परियोजना को चालू किया जैसा कि सुपरिटेनडीन इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से पता चलता है

(iv) उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को कमीशन के प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य करने का निर्देश देने में कोई गलती नहीं की है, और उस निरसन पर रोक लगाने के लिए जो रिट याचिका पर निर्णय लेने के बाद केवल 17 नवंबर 2017 को जारी किया गया था;

(v) वैकल्पिक रूप से, और उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्रस्तुतियाँ, किसी भी स्थिति में, पहले अपीलार्थी की ओर से टैरिफ आदेश के आधार पर पहले प्रतिवादी के साथ पी. पी. ए. में प्रवेश न करने का कोई औचित्य नहीं है जो नियंत्रण अवधि 2016–19 के लिए 17 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था;

परियोजनाओं पर लागू होती है जिनके पास अंतर–राज्यीय परियोजनाओं के लिए 25 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ एक स्थान पर 5 मेगावाट और उससे अधिक का व्यक्तिगत आकार होगा

(vii) कमीशन प्रमाणपत्र का निरसन पहले अपीलार्थी का एकतरफा कार्य था अनुमति दिए बिना प्रथम प्रत्यर्थी को सुनने का अवसर और कोई कारण दर्शाओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

24. मार्च 2013 के शुल्क आदेश में निर्धारित किया गया था कि यह सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए लागू होगा जो 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद बिजली की बिक्री के लिए राज्य में लाइसेंसधारी शुल्क आदेश की नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल 2013 को सी. ई. डी. किया गया और 31 मार्च 2016 को समाप्त होगा। शुल्क आदेश ने आदेश जारी होने के बाद चालू होने वाली नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5.92 रुपये प्रति इकाई का एक स्तरीय शुल्क निर्धारित किया है 25 साल की परियोजना पैरा 12.30 में प्रावधान किया गया है कि सभी मौजूदा परियोजनाएं जो 1 अप्रैल 2013 से पहले चालू की गई थीं, उनके द्वारा शासित होंगी कमीशन के समय लागू होने वाले नियम और शर्तें इसलिए, शुल्क निर्धारित करने में महत्वपूर्ण घटक वास्तविक तिथि थी जिस पर परियोजना शुरू की गई थी।1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद 00.00 बजे चालू किया गया था। एस. एल. डी. सी. को टैरिफ आदेश के पैरा 4.2 द्वारा मार्च 2016 के महीने के दौरान 1 मार्च 2016 के 00.00 बजे से 31 मार्च 2016 के 24.00 बजे तक कमीशन किए गए डब्ल्यू. ई. जी. की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह आंकड़ा मांगा गया था।यह निर्धारित करने का एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करने के लिए कि क्या 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई परियोजनाओं पर नए टैरिफ आदेश लागू होने से पहले कोई परियोजना शुरू की गई थी।

25. 17 मार्च 2016 का टैरिफ ऑर्डर, जिसने पहले के टैरिफ ऑर्डर को प्रतिस्थापित कर दिया था, उन सभी नई पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू होता है जो 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद 00.00 बजे चालू की गई थीं। टैरिफ आदेश के पैरा 4.2 के तहत एसएलडीसी को मार्च 2016 के महीने के दौरान 1 मार्च 2016 के 00.00 बजे से 31 मार्च 2016 के 24.00 बजे तक कमीशन किए गए WEG की एक सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह डेटा वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करने के लिए मांगा गया था। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई परियोजनाओं पर नए टैरिफ आदेश लागू होने से पहले एक परियोजना चालू की गई थी।

26. उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, दिशानिर्देश जो थे 18 मार्च 2016 को पहले अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए एक प्रारूप प्रदान किया गया। प्रारूप के लिए आवश्यक रीडिंगः(i) डब्ल्यू. टी. जी. मीटर; (ii) मुख्य बिलिंग मीटर; और (iii) बिलिंग मीटर की जाँच करें। प्रारूप को स्थापित करने के लिए इस डेटा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी जिस तारीख को कोई विशेष परियोजना शुरू की गई थी। चालू करने की वास्तविक तिथि लागू शुल्क का निर्धारण करेगी; 5.92 रुपये प्रति इकाई का शुल्क उन परियोजनाओं पर लागू होगा जो 31 मार्च 2016 को या उससे पहले शुरू की गई थीं, जबकि 4.78 रुपये प्रति इकाई की नई दर उन परियोजनाओं पर लागू होगी जो 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू की गई थीं। एस. एल. डी. सी. को ग्रिड में बिजली के वास्तविक इंजेक्शन का डेटा जमा करने की आवश्यकता थी जिसका उद्देश्य वास्तविक स्थिति स्थापित करना था।

27. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं का मुख्य निवेदन यह है कि एस. एल. डी. सी. द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा इंगित करता है कि – प्रथम उत्तरदाता द्वारा ग्रिड में बिजली का वास्तविक इंजेक्शन 1 अप्रैल 2016 को

किया गया था। यह उस आधार पर है कि पहले अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि कमीशन प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं था, निर्धारित प्रारूप और इसे रद्द करना पड़ा। इस न्यायालय के समक्ष, एस. एल. डी. सी. द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा विवाद में नहीं है। वास्तव में, यही वह आधार है जिसके आधार पर श्री विवेक के. तन्खा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने वैकल्पिक निवेदन का आग्रह किया कि किसी भी स्थिति में, यहां तक कि एस. एल. डी. सी. के आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 2016 को और उससे ग्रिड में बिजली डाली गई थी।

28. अभिलेख पर दस्तावेजी सामग्री की समीक्षा करने पर, हम उस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उच्च न्यायालय के साथ वजन किया गया है, अर्थात्, परियोजना को 31 मार्च 2016 तक पूरा कर लिया गया था। कमीशन का प्रमाण पत्र जो द्वारा जारी किया गया है अधीक्षण अभियंता (सुपरिटेनडींग इंजीनियर) को उपलब्ध वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक आंकड़ों से धोखा मिलता है। एस. एल. डी. सी. से जो अधिनियम की धारा 31 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। रिकॉर्ड पर वस्तुनिष्ठ डेटा इंगित करता है कि ग्रिड में बिजली का इंजेक्शन 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। इसलिए, हमारा विचार है कि यह वह आधार होना चाहिए जिसके आधार पर पी. पी. ए. में प्रवेश करने का दावा किया जाना चाहिए।

29. चूंकि तथ्यात्मक आंकड़े इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, इसलिए हमारा विचार है कि पहले प्रतिवादी की परियोजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी क्योंकि एस. एल. डी. सी. के आंकड़े बिजली के इंजेक्शन का संकेत देते हैं। उस तारीख से ग्रिड में 1 अप्रैल 2016 को परियोजना के चालू होने के आधार पर, हम वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण में योग्यता पाते हैं जो अपीलों में पहले प्रतिवादी की ओर से आग्रह किया गया है कि शुल्क आदेश जो लागू होना चाहिए वह 17 मार्च 2016 का शुल्क आदेश है। प्रथम प्रतिवादी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में था, जिसने पहले के शुल्क आदेश के आधार पर 5.92 रुपये प्रति इकाई की उच्च दर के लाभ के अपने दावे का समर्थन किया और इस आधार पर कि इसकी परियोजना 31 मार्च 2016 को शुरू हुई थी। पहला प्रत्यर्थी उस संबंध में अपने दावे का ईमानदारी से पीछा कर रहा था जिसे उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश में स्वीकृति मिली। यद्यपि हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न हैं, हमारा विचार है कि 17 मार्च 2016 के टैरिफ आदेश द्वारा निर्धारित दर के लाभ से प्रथम प्रतिवादी को वंचित करना अनुचित होगा। 4. 78 रुपये प्रति इकाई के उस शुल्क आदेश द्वारा निर्धारित दर 1 अप्रैल 2016 से शुरू होने वाली और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि के दौरान लागू होनी थी और यह दर 25 वर्षों के जीवन चक्र को नियंत्रित करती रहेगी। शुल्क आदेश के पैरा 5 द्वारा निर्धारित प्रथम प्रत्यर्थी को व्यवहार की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि समान प्रकृति की अन्य परियोजनाओं के लिए अनुमति दी गई है जो 17 मार्च 2016 के टैरिफ आदेश के पैरा 5 में निर्धारित नियंत्रण अवधि द्वारा शासित होगी।

30. एम. पी. पावर मैनेजमेंट कं. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नितिन गौर द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के दिशा–निर्देश जिन पर निर्भरता रखी गई है। अपीलार्थियों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा बाद में 8 दिसंबर 2017 को तैयार किया गया था। इसके अलावा, उनमें से पैरा 3.1 दिशानिर्देश पहले उत्तरदाता की परियोजना पर लागू नहीं होते हैं। पैरा 3.1 इस प्रकार प्रदान करता हैः

" 3. <u>दिशानिर्देशों की उपयोगिता</u>

3.1 ये दिशानिर्देश इन प्रावधानों के तहत जारी किए जा रहे हैं – ' ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यू. पी. पी.) से 'खरीदार' द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बिजली की अंतर–राज्यीय परियोजनाओं के लिए 25 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ; और (बी) एक साइट पर 50 मेगावाट और उससे अधिक का व्यक्तिगत आकार अंतर–राज्यीय परियोजनाओं के लिए 50 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता।

31. उपरोक्त दिशानिर्देश ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा पर लागू होते हैं। अंतर–राज्यीय परियोजनाओं के लिए 25 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ एक स्थान पर 5 मेगावाट और उससे अधिक के व्यक्तिगत आकार वाली परियोजनाएं। चूँकि पहला उत्तरदाता निश्चित रूप से एक अंतर–राज्यीय परियोजना है और इसे पूरा नहीं करता है उपरोक्त आवश्यकता, दिशानिर्देश (जो किसी भी स्थिति में बाद में लागू हुए) का कोई उपयोग नहीं होगा।

32. उपरोक्त कारणों से, हम आंशिक रूप से अपीलों की अनुमति देते हैं कि 21 सितंबर 2017 और 29 जनवरी 2018 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया गया। हम उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप निर्देश देते हैं कि अपीलों में प्रथम प्रतिवादी 17 मार्च 2016 के टैरिफ आदेश के लाभ का हकदार होगा। अपीलार्थी 1 अप्रैल 2016 से उस आधार पर पी. पी. ए. के निष्पादन के लिए अपील में पहले प्रतिवादी के आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। जिस दृष्टिकोण से हमने लिया है, दूसरी रिट याचिका जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा दायर की गई है, जीवित नहीं रहेगी और वर्तमान निर्णय के संदर्भ में निपटाई जाएगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

सुश्री मिताली वाणी,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के कनिष्ठ श्रेणी
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश,
ज़िला-नर्मदापुरम